

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2015/वैशाख 11, 1937

No. 279]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2015/VAISAKHA 11, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2015

सं. 17/2015-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 350(अ).—जबकि कि पदनामित प्राधिकारी ने, रूस में मूलतः उदगमित अथवा वहां से निर्यात की गई तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3904 61 00 के अंतर्गत आने वाले "पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)" पर, दिनांक 3 मई, 2010 की सा.का.नि. सं. 337(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 मई, 2010 की अधिसूचना सं. 57/2010-सीमा शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) की शर्तों के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण तथा संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुक्रम में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड 1 में दिनांक 13 अप्रैल, 2015 को प्रकाशित दिनांक 13 अप्रैल, 2015 के अधिसूचना सं. 15/2/2015- डीजीएडी के अंतर्गत समीक्षा प्रारंभ की थी तथा उपरोक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा(5) के शर्तों के अनुसार एक और वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है।

अब उपयुक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उपयुक्त नियमों के नियम 23 के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 373(अ) के अंतर्गत दिनांक 3 मई, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या 57/2010-सीमा शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

उपर्युक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“3. पैराग्राफ 2 में विहित किसी भी बात के बावजूद यह अधिसूचना 2 मई, 2016 जिसमें यह तारीख भी शामिल है तक प्रभावी रहेगी, यदि इसे पहले रद्द नहीं कर दिया जाए।”

[फा. सं. 354/106/2004-टीआरयू (भाग -I)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 373(अ) के अंतर्गत दिनांक 3 मई, 2010 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2015

No. 17/2015-Customs (ADD)

G.S.R. 350(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/2/2015-DGAD, dated the 13th April, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 13th April, 2015, has initiated review, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on “Polytetrafluoroethylene (PTFE)”, falling under Tariff Item 3904 61 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from, Russia, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 57/2010-CUSTOMS, dated the 3rd May, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number

G.S.R. 373(E), dated the 3rd May, 2010 and has recommended for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 57/2010-CUSTOMS, dated the 3rd May, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) *vide* number G.S.R. 373(E), dated 3rd May, 2010, namely:

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, this notification shall remain in force up to and inclusive of the 2nd day of May, 2016, unless revoked earlier.”.

[F. No. 354/106/2004-TRU (Pt. I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 373(E), dated the 3rd May, 2010.